संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(एसपी)/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल, 2016

विषय-उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का प्रख्यापन

महोदय,

राजकीय विभागों में सामग्री क्रय संबंधी विद्यमान 'स्टोर परचेज रूल्स' दिनांक 13 मार्च, 1935 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-905/ XVIII-652 द्वारा प्रख्यापित किये गये थे, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-1 के परिशिष्ट- XVIII में उपलब्ध हैं। यह नियम मात्र 12 पृष्ठों में हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अनुलग्नक भी समय-समय पर जोड़े गये हैं। इन नियमों के प्रख्यापन से 81 वर्ष की लम्बी अवधि में मामूली संशोधन हुये हैं, जो कमोबेश तदर्थ आधार पर मौद्रिक सीमाओं में वृद्धि करने तक सीमित रहे। शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया कि समय के साथ बदलती परिस्थितियों में यह नियम काफी सीमा तक अप्रासंगिक हो गये हैं।

2- उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में भण्डार क्रय प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण हेतु सूत्र संख्या-223 विकास एजेण्डा में सम्मिलित किया गया। इसी मध्य उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के नवलेखन की आवश्यकता के दृष्टिगत सरकारी विभागों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय के लिये प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एक सेल का गठन किया गया। उक्त सेल द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का आलेख तैयार करने के संबंध में केन्द्र सरकार के 'मैनुअल फार परचेज आफ गुड्स' प्रोक्योरमेन्ट संबंधी संसद में प्रस्तुत दि पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट बिल, 2012 (बिल संख्या-58 आफ 2012), विभिन्न राज्य सरकारों के प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा कतिपय सरकारों द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc